रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2098] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2013/भाद्र 15, 1935
No. 2098] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013/BHADRA 15, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2013

सं. 40 (आर.ई.-2013)/2009-2014

विषय : सोने के आयात के बाद सोने के आभूषणों/सोने की वस्तुओं के निर्यात के अनुक्रमण पर जोर न देना ।

का.आ.2709(अ.).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है:

2. आईटीसी (एचएस) 2012 अनुसूची 1 के अध्याय 71 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि सोने का आयात "भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों की शर्त के अध्यधीन होगा।" भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने के आयात की स्कीम के परिचालनात्मक पहलू पर दिनांक 14 अगस्त, 2013 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 25 सहित, कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। परिपत्र सं. 25 के पैरा में 2 (च) में निम्न उल्लेख है :

"(च) किसी भी प्राधिकार-पत्र, जैसे कि अग्रिम प्राधिकार-पत्र शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र (डी एफआईए)का उपयोग केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए आशयित सोने के आयात हेतु किया जाएगा तथा इसे बिल्कुल भी घरेलू उपयोग हेतु नहीं मोड़ा जाएगा ।"

3. इस शर्त (च) की व्याख्या इस प्रकार की जा रही है कि अग्रिम प्राधिकार-पत्र/डी एफआईए के तहत किए जाने वाले प्रत्येक आयात के बाद तदनुरूपी निर्यात किया जाना जरूरी है। सामान्यत: एए/डीएफआईए के तहत निर्यात से पहले आयात होता है लेकिन कुछ मामलों में आयात से पहले निर्यात हो सकता है। यह आवश्यक है कि एए/डीएफआईए के तहत किए जाने वाले प्रत्येक आयात के लिए उचित रूप से तदनुरूपी निर्यात हो जिसमें इस क्रम पर जोर न दिया जाए: आयात पहले और निर्यात उसके बाद।

4. तदनुसार, एए/डीएफआईए के तहत किए जाने वाले सोने के आयात के लिए तदनुरूपी निर्यात होगा लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आयात पहले किया जाए और निर्यात उसके बाद।

5. इस अधिसूचना का प्रभाव: एए/डीएफआईए के तहत किए जाने वाले सोने के आयात के बाद निर्यात जरूरी नहीं है लेकिन प्रत्येक आयात को हिसाब में लिया जाएगा।

[फा. सं. 01/94/180/88/एएम-11/पीसी-4]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2013

No. 40 (RE–2013)/2009-2014

Subject: Non-insistence on sequencing of import of gold being followed by export of gold jewellery/articles of gold.

S.O.2709(E).— In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the following:

2. Chapter 71 of ITC(HS) 2012 Schedule 1 stipulates that import of gold is 'subject to RBI regulations'. The Reserve Bank of India has issued certain guidelines including A.P. (DIR Series) Circular No.25 dated August 14, 2013 on the operational aspect of the scheme of import of gold. Para 2(f) of the circular No. 25 states:

"(f) Any authorization such as Advance Authorization / Duty Free Import Authorization (DFIA) is to be utilized for import of gold meant for export purposes only and no diversion for domestic use shall be permitted. "

3. This condition (f) is getting interpreted as every import under Advance Authorisation/DFIA has to be followed by a corresponding export. Normally import precedes export under AA/DFIA but in certain cases export may precede import. It is necessary that every import under AA/DFIA must be duly accounted for by corresponding exports without insisting on the sequence: import preceding export.

4. Accordingly, import of gold under AA/DFIA would have a corresponding export but not necessarily import first and export later.

5. Effect of this Notification: Import of gold under AA/DFIA would not necessarily be followed by export but each import has to be accounted for.

[F. No. 01/ 94 / 180 /88 / AM-11 / PC-4]
ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.